

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(E-mail - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 350/121/आउशि/समन्वय/2015

नया रायपुर दिनांक 14/08/2015

प्रति,

- 1- कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़.
- 2- प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़.

विषय :-

छत्तीसगढ़ में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 27-05-2015 के कार्यवाही विवरण का प्रेषण।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक-3060/2407/2015/38-1 दिनांक 31.07.2015 के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-11-7/2014/मबावि/50 दिनांक 24-06-2015 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 27.05.2015 के कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।

कृपया आप अपने एवं आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/निर्जी महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये विभाग से संबंधित विन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन एकजारी कर संबंधित एवं इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 351/121/आउशि/समन्वय /2015

नया रायपुर, दिनांक 14/08/2015

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर पत्र क्रमांक-3060/2407/2015/38-1 दिनांक 31.07.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, अराजपत्रित शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

12/11/15

क्रमांक 3068 / 2407 / 15 / 38-1

नया रायपुर, दिनांक 21/7/2015

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
इदावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)।

विषय - छ.ग. में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय परिसरों में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की पूर्ति हेतु आयोजित बैठक दिनांक 27.05.2015 के कार्यवाही दिवस का प्रेषण।

उपरोक्त निषयांतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 11-7/2014/मवावि/50 दिनांक 24.06.2015 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया उक्त संलग्न पत्र पर आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

12/11/15

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
छ.ग. शासन
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

(1)

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

हस्तांक एफ 11-7/2014/मबावि/50

नया रायपुर, दिनांक 26 जून 2015

प्रति, प्रिंट

प्रमुख, प्रमुख

1. अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग
2. प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग
3. प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा
5. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
6. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
7. पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ रायपुर
8. डायरेक्टर, जनरल,
होमगार्ड्स, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. संचालक,
संचालनालय, महिला एवं बाल विकास
इन्द्रायती भवन, नया रायपुर।

विषय :- छ.ग. में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 27.05.2015 के कार्यवाही विवरण का प्रेषण।

—00—


विषयांतरित छ.ग. में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 27.05.2015 को मंत्रालय के कक्ष क्रमांक एस-01/15 में आयोजित बसने का कार्यवाही विवरण पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि कार्यवाही विवरण में दर्शाए विभाग से संबंधित कार्यवाही तत्काल पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही की जानकारी इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न: यथोपरि।

(सचिव)
विशेष कर्ताव्यस्थ अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पू क्रमांक एफ 11-7/2014/मवावि/50
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 24 जून 2015

1. कलेक्टर, जिला-समरत छत्तीसगढ़ की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति प्रेषित की जा रही है। अनुसंधान है कि कार्यवाही विवरण के अनुसार जिला स्तर पर की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की जानकारी तत्काल उपलब्ध बनाने का कार्य करें।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना की समीक्षा हेतु आहूत बैठक दिनांक 27 मई 2015 का कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु लागू की गई समेकित कार्ययोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27 मई 2015 को दोपहर 12:00 बजे बैठक आहूत हुई। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। बैठक में चर्चा उपरांत लिये गये निर्णयों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. कार्ययोजना की कंडिका 2.1 अनुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की आपात कालीन सहायता के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में पुलिस विभाग द्वारा हेल्पलाईन (दूरभाष क्रमांक 1091) स्थापित किये जाने के निर्देश हैं। नये जिलों में यह नम्बर क्रियाशील करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक थानों में महिला डेस्क स्थापित करने तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के प्रकरण बालक कल्याण समितियों को अनिवार्यतः प्रस्तुत करने के संबंध में मैदानी स्तर पर निर्देश प्रसारित करने हेतु उपस्थित प्रतिनिधि को अवगत कराया गया। गुमशुदा बच्चों के संबंध में हुई चर्चा अनुसार कतिपय प्रकरणों में पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की प्राथमिकी तत्काल दर्ज नहीं किये जाने के फलस्वरूप बच्चों की बरामदगी व शीघ्र कार्यवाही में विलम्ब होता है तथा यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होता है। इस संबंध में सभी थानों को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पुनः निर्देश दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही - पुलिस महानिदेशक)

2. कार्ययोजना की कंडिका 2.2.1 के अनुसार महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित आवासीय संस्थाओं में पुरुष अधिकारी/कर्मचारी/सेवा प्रदाता नहीं रखे जाने के निर्देश हैं। उक्त के अनुक्रम में आदिम जाति कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम एवं अन्य विभाग जो महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित आवासीय संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे सभी आवासीय संस्थाओं का निरीक्षण कराते हुए संस्थावार अद्यतन स्थिति की जानकारी तैयार कर एकजाई प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही - आदिम जाति कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग तथा सभी जिला कैलेक्टर्स)

3. कार्ययोजना की कंडिका 2.2.2 के अनुसार इन संस्थाओं में पुरुष चौकीदार के स्थान पर महिला होमगार्ड की सेवायें लिया जाना है। बैठक में संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें कुल 4190 महिला होमगार्ड की आवश्यकता है जिसके विरुद्ध 884 महिला होमगार्ड संस्थाओं में नियुक्त हैं। सभी विभागों से अनुरोध किया गया कि वे प्रत्येक संस्था में अपेक्षित संख्या में महिला होमगार्ड की आवश्यकता का मांग पत्र महानिदेशक होमगार्ड को एक सप्ताह के भीतर भेजे। सभी विभागों की मांगों को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक होमगार्ड अतिरिक्त पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित करें। चूंकि महिला होमगार्ड की सेवायें संस्थाओं में आवश्यक है अतः इस

कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। संस्थाओं में तैनात होमगार्ड के वेतन आहरण के संबंध में पुनः निर्देश दिये गये कि संस्थाओं में पदस्थ होमगार्ड की दैनिक उपस्थिति संबंधित संस्था प्रभारी द्वारा सत्यापित कर संबंधित जिला कमान्डेंट को भेजी जाये ताकि उक्तानुसार उनका वेतन आहरण किया जावे। जिन संस्थाओं में महिला होमगार्ड तैनात है तथा उनके निवास हेतु पृथक से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है ऐसी स्थिति में इन महिला होमगार्ड को उक्त संस्था में बालिकाओं के साथ ही रहने हेतु नियमानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं/सहयोग किया जावे।

(कार्यवाही - आदिम जाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग एवं महानिदेशक पुलिस/होमगार्ड)

4. कार्ययोजना की कंडिका 2.3.1 के अनुसार अधीक्षिका/वार्डन/गृह प्रभारी संस्थान में ही निवासरत होना चाहिये। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक संस्थावार परीक्षण कराया जाये कि कितनी संस्थायें हैं जहां आवास उपलब्ध न होने के कारण अधीक्षिका निवास नहीं कर पा रही है तथा कितनी संस्थायें हैं जहां आवास उपलब्ध होते हुए भी प्रभारी अधिकारी निवास नहीं कर रहे हैं। इस बिन्दु पर आगामी बैठक में सभी विभागों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही - आदिम जाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा विभाग)

5. कार्ययोजना अनुसार संस्थाओं के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के लिए कार्ययोजना में दिये गये विवरण अनुसार प्रत्येक संस्था के लिए 7 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया जाना था। इसी प्रकार 7 सदस्यीय जिला स्तरीय निगरानी अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान है। सभी सम्बद्ध विभाग एवं जिला कलेक्टरों से समिति गठन का अद्यतन प्रतिवेदन मंगाये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही - आदिम जाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा विभाग एवं समस्त जिला कलेक्टर)

6. कार्ययोजना अनुसार सभी संस्थाओं के अन्तःवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से समन्वय कर सभी बच्चों का प्रत्येक सप्ताह अथवा 15 दिवस में अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये। सभी बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाया जाये। संस्था में निवासरत सभी बच्चों को परामर्श सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा प्रत्येक संस्था के लिए एक चिकित्सक को नोडल चिकित्सक नामांकित कर उनकी देखरेख में समस्त कार्यवाही संपादित करायी जावे। इसके साथ ही ट्रेफिकिंग से मुक्त कराये गये बच्चों की गहन व निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित करने हेतु उपस्थित प्रतिभागी को अवगत कराया गया। उपरोक्त बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं समस्त जिला कलेक्टर)

7. एकीकृत कार्ययोजना पर सभी जिला कलेक्टर माह जून 2015 में समीक्षा बैठक आहूत कर कार्ययोजना के प्रत्येक बिन्दु पर समीक्षा कर प्रतिवेदन संबंधित विभाग प्रमुख एवं सचिव/संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही - सभी जिला कलेक्टर)

8. आगामी बैठक में संचालक स्वास्थ्य, संचालक स्कूल शिक्षा, संचालक सर्वशिक्षा/माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा संचालक ग्रामीण विकास विभाग को आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही - महिला एवं बाल विकास विभाग)

